सत्यमेव जयते
B.N. SHARMA
I.A.S.
PRINCIPAL SECRETARY

MEDICAL, HEALTH & FAMILY
WELFARE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF RAJASTHAN
ROOM NO. 5213, MAIN BUILDING,
GOVT. SECRETARIAT, JAIPUR-05 (RAJ.)
Tel. No. : 0141-2227132 (O)
Fax No. : 0141-2227797
0141-2701277 (R)
E-mail : phsrajasthan@gmail.com

D.O.Letter No. 600
Jaipur Dated: 29.12.11

Dear Deepak,

This has come to the notice that the Rajasthan State Road Transport buses are explicitly being used by Tobacco industries for promoting their tobacco and non tobacco products. This practice is in contravention with the provisions of Cigarette and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act-2003(COTPA).

The State Tobacco Control Cell constituted under Department of Medical and Health has been constantly receiving complaints about these advertisements displayed on RSRTC buses in the name of Pan Masala. These advertisements fall in the category of surrogate advertisements of tobacco products, and are in contravention of the COTPA-2003. The Honorable Gujrat High Court has recently issued directions on surrogate advertisements of tobacco products (Copy Enclosed).

Request you to ensure that surrogate advertisements of tobacco products given in the name of Pan Masala will not be displayed on state run RSRTC buses. It would be of great help for the entire public health if the RSRTC buses would be used in promoting Tobacco Control Messages.

Regards.

Encl:
Copy of Directions of Honorable High Court of Gujrat and D.o. letter of Additional Secretary MoHFW, GoI

Yours Sincerely

(B.N Sharma)

Shri Deepak Upreti,
Principal Secretary,
Transport Department Government of Rajasthan

[illegible] प्रमुख शासन सचिव
[illegible] स्वास्थ्य एवं प. क. Dir. AIDS
शासन सचिवालय, जयपुर
07 FEB 2012

अर्द्धशासकीय पत्रांक
प 12 (8) परि/2010
जयपुर, दिनांकः–30.01.2012

जैसा कि आपको इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 03.01.2012 व 19.01.2012 के द्वारा लिखा जा चुका है कि जनता के स्वास्थ्य के मध्यनजर निगम की बसों पर से "पान मसाला–गुटखा" के प्रचार प्रसार हेतु लगे विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से हटाया जावे। इसी क्रम में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन की ओर से संलग्न अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 29.12.2011 भी प्राप्त हुआ है।

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के उक्त पत्र के साथ अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात के निर्णय दिनांक 22.12.2010 एवं विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के लिये विज्ञापन एवं नियत्रंण पर प्रतिबंध) अधिनियम, 2003 प्राप्त हुए है जो आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाये जा रहे है। इन संलग्नको के अनुसार यह पूर्णतया स्पष्ट है कि निगम की बसों पर तम्बाकू उत्पादों का प्रदर्शन नियम विरूद्ध एवं माननीय न्यायालय के आदेशों की अवमानना है।

अतः निगम की बसो पर प्रदर्शित समस्त प्रकार के तम्बाकू उत्पादो के विज्ञापनो को तत्काल प्रभाव से हटवाकर पालना रिपोर्ट शीध्र भिजवाने का श्रम करें। माननीय न्यायालय द्वारा अवमानना की स्थिति का आदेश दिये जाने पर इसके लिये आप स्वंय जिम्मेदार होगे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

शुभेच्छु
-sd
(दीपक उप्रेती)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

डॉ. मंजीत सिंह,
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,
जयपुर।

प्रतिलिपिः–श्री बी.एन.शर्मा, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर को उनके अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 600 दिनांक 29.12.2011 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

शासन उप सचिव (परिवहन)

NO/PA/Dir/AIDS/
07 FEB 2012
D.M. & H.S. (AIDS)

ATC

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

परिवहन मार्ग, जयपुर – 302 001

क्रमांकः–एफ (133)/मु0/प्रशा./वि.के./11/ 133 दिनांकः– 21.2.12

समस्त जोनल मैनेजर
मुख्य प्रबन्धक
राजस्थान परिवहन निगम
समस्त

विषयः–'निगम बसों एंव बस स्टैण्डों पर से पान मसाला गुटखा के विज्ञापनों को हटाये जाने के सम्बन्ध में।
संदर्भः– शासन उप सचिव परिवहन विभाग राज0 सरकार जयपुर का पत्र क्रमांक प–12(8)परि./10दिनांक 3.1.2012

उपरोक्त संदर्भित पत्र की प्रतिलिपी आपको प्रेषित कर लेख निर्देशित किया गया था कि निगम की बसों एंव बस स्टैण्डों पर यदि पान मसाला गुटखा के विज्ञापन प्रदर्शित कर रखे हों तो उन्हे तुरन्त हटाकर इस कार्यालय को सूचित करें साथ ही भविष्य में इनके विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करावें परन्तु आप द्वारा पालना रिपोर्ट आज दिनांक तक नहीं भिजवाई गई है । पुनः निर्देशित किया जाता हैं कि, पान मसाला, गुटखा के विज्ञापन राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिये गये हैं । अतः उनको शीघ्र हटवाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। ताकि राज्य सरकार को पालना रिपोर्ट प्रेषित की जा सके।

–sd–
अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः–एफ (133)/मु0/प्रशा./वि.के./11/ 133 दिनांकः–21.2.12

प्रतिलिपीः– निम्न को प्रेषित कर लेख है कि पान मसाला गुटखा के विज्ञापन शीघ्र हटवाने की कार्यवाही करावें।

1. मैसर्स प्रोएक्टिव इन एण्ड आउट एडवरटाईजिंग प्रा.लि. 214, द्वितीय मंजिल,नवजीवन काम्पलेक्स, स्टेशन रोड़, जयपुर–302006 फोन नं0 9314427920
2. मैसर्स एन.एस. पब्लिसिटी इण्डिया, बी.–3, श्री गिर्राज मेंशन, पांच बत्ती, न्यू कॉलोनी, जयपुर–302001 फोन नं0 9829011005
3. मैसर्स तौरस एडवरटाईजिगं प्राईवेट लि0फ्लेट नम्बर 103 राधे विला अपार्टमेंट कोम्प्लेक्स प्लाट नं0 डी–111 पावर हाउस रोड बनीपार्क जयपुर फोन नं0 9314647796
4. मैसर्स क्रिष पब्लिसिटी सर्विसेज प्रा0लि0 फ्लेट नम्बर 103 राधेविला अपार्टमेंट काम्प्लेक्स,प्लान नं0 डी–111 पावर हाउस रोड जयपुर
5. मैसर्स प्लेनेट आउट डोर (ए यूनिट आफ स्काई मिडिया प्रा0लि0) जी–107 –ए मालवीय नगर इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर

कार्यकारी निदेशक(प्रशासन)

(313)

कार्यालय जोनल मैनेजर, जयपुर महानगर सिटी ट्रान्सपोर्ट जोन,
रारापपनिगम, मुख्यालय, जयपुर।

क्रमांकः एफ /जो.मैने./जेएमसीटी/सामा./12/285 दिनांकः– 27-02-12

मुख्य प्रबन्धक,
रारापपनिगम,
विद्याधरनगर/सांगानेर आगार।

विषयः–पालना सुनिश्चित कराने बाबत।

प्रसंगः–श्रीमान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय के पत्र
क्रमांकः एफ/मु./याता./12/133 दिनांक 21.02.12

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र आपके कार्यालय को भिजवाया गया है जिसमें निगम बसों एवं बस स्टैण्डों पर से पान मसाला एवं गुटकों के विज्ञापनों को हटाये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि पान मसाला, गुटका के विज्ञापन यदि प्रदर्शित कर रखे हों तो उन्हें तुरन्त हटा कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।

जोनल मैनेजर
जे.एम.सी.टी.जोन